न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 56/2022

वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

स्वर्णदीप सिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादी

बनाम्

1. जगदेव सिंह
2. लाभ सिंह
3. कुलदीप सिंह

पुत्रगण जगसीर सिंह

4. जगसीर सिंह पुत्र गुरदत सिंह
5. सीबो
6. मलकीत कौर

पुत्रीयां गुरदत सिंह

7. गगनदीप कौर पुत्री गुड्डी
8. रूपिन्द्र कौर पत्नी सिमरजीत सिंह पुत्र गुड्डी
9. गुरबक्श सिंह पुत्र भान सिंह
10. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

समस्त जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–

1. श्री राजेश बुडानिया – वकील वादी
2. श्री नवरत्न स्वामी – वकील प्रति.सं. 1 ता 9

निर्णय **दिनांक :–** 9-3-2023

वादी स्वर्णदीप सिंह ने प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन के तहत दिनांक 15.01.2022 को इस न्यायालय में पेश किया यह कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया हैं। वादी के परदादा गुरदत सिंह के नाम चक नं. 17 एएमपी के खाता सं. 19/9 जं.सं. 2073–2076 में 1.960 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता की जमाबन्दी सलग्न वादपत्र हैं। वादी व प्रतिवादीगण एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य हैं। जो मृतक भान सिंह के जायज वारिसान है। प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता हैं व प्रतिवादी सं. 4 वादी का दादा हैं। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 9 ने अपने हक

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

लगातार–2–

व हिस्सा की भूमि चक नं. 15 एमजेडी खाता सं. 77/110 में प्राप्त कर ली थी। चक नं 17 एएमपी खाता सं. 19/9 में प्रतिवादी सं. 9 का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा हैं। प्रतवादी सं. 7 की माता व 8 की सास गुड्डी व प्रतिवादी सं. 5 व 6 ने अपने जीवन काल में प्रतिवादी सं. 4 के पक्ष में जरिये दस्तबरदारी हक त्याग कर दिया था इसलिए उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 5 ता 8 का चक नं. 17 एएमपी खाता सं. 19/9 की भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा हैं। उक्त दस्तबरदारी की फोटो प्रति सलग्न वादपत्र हैं। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि चक नं. 15 एमजेडी खाता सं. 77/110 में प्राप्त कर लिया हैं। वादी प्रतिवादी सं. 1 का अकेला पुत्र हैं। इसलिए वादी का प्रतिवादी सं. 1 क बराबर बहिब का हक व हिस्सा जन्म से बनता हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने चक नं. 17 एएमपी खाता सं. 19/9 का अच्छी मंदी अनुसार घरू विभाजन कर लिया हैं मुताबिक घरू–विभाजन वादी को 1.223है. प्रतिवादी सं. 2 को 1.602 है. भूमि व प्रतिवादी सं. 3 को 1.096 है. भूमि हिस्सा में आई हैं। इसी अनुसार वादी घोषणा करवाने का अधिकारी व दावेदार हैं।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 9 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 10 का ज्बाव दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जमाबन्दी चक नं. 17 एएमपी के खाता सं. 19/9 जं.सं. 2073–2076 खाता में 1.960 है0 नहरी कृषि भूमि प्रदर्श की गई जो प्रदर्श 1 व 2 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी सं. 1 ता 9 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि चक नं. 17 एएमपी के खाता सं. 19/9 जं.सं. 2073–2076 में वादी को 1.223 है. व प्रंसं. 2 को 1.602 है. प्रतिवादी सं. 3 को 1.096 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर गुरदित सिंह व गुरबक्श सिंह का नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादीगण के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादीगण के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादीगण की ओर से कुल 1 व 2 प्रदर्श किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लगातार–3–

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि चक नं. 17 एएमपी के खाता सं. 19/9 जं.सं. 2073–2076 में वादी को 1.223 है. व प्रंसं. 2 को 1.602 है. प्रतिवादी सं. 3 को 1.096 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर गुरदित सिंह व गुरबक्श सिंह का नाम कलमजन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 9-3-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/3/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 56/2022
वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

स्वर्णदीप सिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादी

बनाम्

1. जगदेव सिंह } पुत्रगण
2. लाभ सिंह } जगसीर सिंह
3. कुलदीप सिंह
4. जगसीर सिंह पुत्र गुरदत सिंह
5. सीबो } पुत्रीयां
6. मलकीत कौर } गुरदत सिंह
7. गगनदीप कौर पुत्री गुड्डी
8. रूपिन्द्र कौर पत्नी सिमरजीत सिंह पुत्र गुड्डी
9. गुरबक्श सिंह पुत्र भान सिंह
10. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

समस्त जाति जटसिख
निवासी शाहपीनी
तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक :– 9-3-2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादी व श्री नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 9 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि चक नं. 17 एएमपी के खाता सं. 19/9 जं.सं. 2073–2076 में वादी को 1.223 है. व प्रंसं. 2 को 1.602 है. प्रतिवादी सं. 3 को 1.096 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर गुरदित सिंह व गुरबक्श सिंह का नाम कलमजन किया जावे।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।
नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।
निज X नल X मुब्लिक X निल X बाबत X निल X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक X अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9/3/2023 जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया